आदरणीय पुलिस महानिदेशक, श्री एस० के० सिंघल साहब
अपर पुलिस महानिदेशक श्री जीतेन्द्र कुमार जी, श्री जीतेन्द्र सिंह गंगवार जी, श्री संजय सिंह जी,
पुलिस महानिरीक्षक सेन्ट्रल रेंज श्री राकेश राठी जी एवं
आज की बैठक में पधारे पटना पुलिस के वरीय पदाधिकारीगण
विभिन्न व्यवसायिक संगठनों के पदाधिकारीगण
चैम्बर के सदस्यगण तथा
प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया के मित्रों

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रांगण में, मैं राज्य के व्यवसायियों, उद्यमियों एवं अपनी ओर से राज्य के पुलिस महानिदेशक तथा पुलिस प्रशासन के अन्य वरीय पदाधिकारियों का स्वागत् करता हूँ तथा पुलिस महानिदेशक महोदय का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज अपने पूरे टीम के साथ हमारे बीच पधारने की कृपा की हैं ।

मित्रों हमें यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दिनांक 25 मई 2018 को तत्कालीन पुलिस महानिदेशक के साथ चैम्बर प्रांगण में आयोजित बैठक में सिंघल साहब का स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज की तिथि में पुलिस महानिदेशक के रूप में हमें स्वागत करते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है ।

महोदय, मीडिया एवं अन्य माध्यमों से हमें आपके द्वारा लिये जा रहे अन्वेंशी एवं प्रगतिशील कदमों की जानकारी मिलती रहती है जिसके माध्यम से आप बिहार पुलिस बल को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं । हम राज्य की सामान्य जनता की भलाई के प्रति आपकी संवेदनशीलता तथा आपकी सरलता से भी पूर्ण परिचित हैं ।

महोदय, किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में उद्यमियों एवं व्यवसायियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और अपराधी तत्वों का शिकार भी यही समाज अधिक होता है । इसलिए पुलिस प्रशासन से व्यवसायी समाज की काफी अपेक्षाएं होती है ।

महोदय, घटनाओं में त्वरित उद्बेधन से व्यवसायी समाज में आत्मविश्वास बढ़ता है साथ ही अपराधियों का मनोबल गिरता है । अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए एवं अपराधियों के मन में पुलिस का भय हो इसके लिए पुलिस को भी आधुनिक तकनीक एवं कानूनी शक्तियों से लैस होना आवश्यक है । हम कुछ प्रमुख सुझावों पर आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे :—

- अधिकाधिक लोगों से मिलकर उनका फीडबैंक लिया जाना चाहिए एवं आम जनता से पुलिस का मित्रवत छवि हो ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता है ।
- व्यवसायिक स्थलों पर कार्यावधि एवं रात्रि पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ।
- ज्यादा घटना वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए ।
- निर्धारित समय के अन्दर जॉच का निपटारा किया जाना चाहिए ।
- पटना में अधिकाधिक पुलिस की पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल के माध्यम से कराया जाना चाहिए इससे विशेष रूप से पटना सिटी जो कि एक घनी आबदीवाला पटना का प्राचीन एरिया है और बहुत सारे पतली–पतली गलियॉ है जहॉ पर पुलिस का चार चक्का वाहन नहीं जा पाता है वैसे क्षेत्रों के लिए यह काफी प्रभावी होगा ।

हमें पूर्ण विश्वास है कि आज की बैठक में पुलिस महानिदेशक द्वारा दी जानेवाली जानकारियों से राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी काफी लाभान्वित होंगे ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपसभी को धन्यवाद देते हुए उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन जी से अनुरोध करता हूँ कि चैम्बर के ज्ञापन को प्रस्तुत करें ।

****

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से पुलिस महानिदेशक, बिहार के साथ दिनांक 25 मार्च 2022 को आयोजित बैठक में समर्पित ज्ञापन

1. अद्यतन तकनीक से पुलिस बल का आधुनिकीकरण :–

पुलिस बल को अति आधुनिक हथियार, सूचना तकनीक एवं आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से सुसज्जीत करना नितान्त आवश्यक है । अद्यतन सूचना तकनीक के उपकरण पुलिस प्रशासन को अपराध पर नियंत्रण में बड़ी सहायता पहुँचा सकती है । पुलिस स्टेशनों को और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है ।

2. बड़े पुलिस थानों के अर्न्तगत ज्यादा पुलिस आउट पोस्ट की स्थापना :–

पटना शहर में गॉधी मैदान, कदमकुऑ, पीरबहोर, पाटलिपुत्रा, बुद्धा कोलोनी, आलमगंज, सुल्तानगंज, खाजेकला, सिटी चौक जैसे थानों का अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है । इसलिए इन थानों में पुलिस प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये इनके अर्न्तगत ज्यादा आउट पोस्ट स्थापित करने की आवश्यकता है । जजेज कोर्ट रोड में भी एक पुलिस आउट पोस्ट स्थापित किया जाना चाहिये ।

3. दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग :–

दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग अत्यन्त प्रभावी होती है । हाल के दिनों में दुपहिया वाहन से पेट्रोलिंग आरंभ तो की गयी है परन्तु यहाँ की संकीर्ण गलियों की अधिकता को देखते हुए उनकी संख्या को बढ़ाने एवं उसे और कारगर बनाने की आवश्यकता है तथा दुपहिया वाहन के जरिये अधिक से अधिक पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है । आपको विदित है कि पटना सिटी जो कि पटना का एक प्राचीन हिस्सा है और अधिकतर गलियॉ संकीर्ण हैं वहॉ पर दो पहिया वाहन से पेट्रोलिंग काफी प्रभावी होगा ।

क्रमश:.....2

4. <u>निजी वाहनों की जॉच</u>

बिहार में पूर्ण शराब बंदी के बाद अवैध व्यवसाय में लगे लोगों पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा निजी वाहनों का जॉच किया जाता है । लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जिस निजी वाहन में आपत्तिजनक वस्तु नहीं प्राप्त होता है उस वाहन को भी केवल नकद रूपया ले जाने के कारण रोक कर परेशान किया जाता है ।

आपको विदित है कि व्यवसायी को विभिन्न उद्देश्यों यथा– माल खरीदने–बेचने, बैंक में जमा करने या बैंक से निकासी के क्रम में अपने निजी वाहन से नकद लेकर आवागमन किया जाना आवश्यक होता है । अत: इस संबंध में आपके स्तर से स्पष्टीकरण चाहेंगे कि कौन सा कागजात साथ रखना आवश्यक है जिससे कि व्यवसायी इस परेशानी से बच सकें ।

5. <u>व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग में वृद्धि</u> :–

व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाना चाहिए तथा व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष विंग की स्थापना किया जाना चाहिए । यह देखा गया है कि व्यापारिक स्थानों में व्यापारिक अवधि में ही अपराध घटित होते हैं, इसलिए हमारा सुझाव है कि व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाना चाहिए । साथ ही पुलिस विभाग में व्यवसायियों के लिए एक विशेष विंग की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके ।

6. <u>प्रमुख व्यवसायिक स्थलों पर सीसीटीवी</u> :–

आज के परिवेश में अपराध पर अंकुश लगाने में CCTV की भी काफी अहम भूमिका है। इसे अधिक से अधिक सघन व्यापारिक स्थलों यथा सब्जीबाग, हथुआ मार्केट, पटना मार्केट, एक्जीविशन रोड, फ्रेजर रोड, न्यू मार्केट, राजा बाजार आदि प्रमुख व्यवसायिक स्थलों पर CCTV लगाया जाना आवश्यक है । पुलिस प्रशासन को अपराध के उदभेदन में CCTV का उपयोग से काफी सफलता मिली है । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहॉ पर भी पूर्व से CCTV लगे हुए हैं वह Proper तरीके से कार्य करता रहे ।

क्रमश:.....3

7. <u>नियमित बैठक की व्यवस्था</u> :–

पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों में अवस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ नियमित आधार पर पुलिस अधीक्षक के स्तर पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिये ।

हमारा अनुरोध होगा कि राज्य स्तर पर एक अन्तराल पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को अपना बहुमुल्य समय देने की कृपा की जाए जिससे कि व्यवसायियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जानने एवं उसके निदान का प्रयास आपके स्तर पर किया जाना चाहिए ।

8. <u>ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के सुझाव</u> :–

i. ट्रैफिक की समस्या केवल पुलिस प्रशासन से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसमें कई विभागों की भागीदारी होती है इसलिए हमारा सुझाव है कि सरकार के स्तर पर ऐसा प्रस्ताव रखा जाए कि सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों की एक कमिटी बनाकर संयुक्त रूप से पहल किया जाए तथा एक ठोस कार्य योजना बनायी जाए । साथ ही साथ संपूर्ण राज्य में बढ़ती जनसंख्या, वाहनों का दबाव एवं संकरी सड़कों के कारण ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है । इस सन्दर्भ में हमारा निवेदन होगा कि ट्रैफिक पुलिस के पास आधुनिक उपकरणें प्रचूर मात्रा में उपलब्ध कराया जाए । साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की संख्या में भी अपेक्षित वृद्धि करना आवश्यक है ।

ii. छोटे डिलिवरी भान को वर्जित अवधि में प्रवेश की अनुमति – हम आपका ध्यान हमारे वैसे सदस्यों की कठिनाईयों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जो दवा, आवश्यक वस्तुओं, बेबी फूड तथा अन्य खाद्य सामग्री के वितरक हैं । ये वितरक खुदरा बिक्रेता के प्रतिष्ठान में माल की आपूर्ति करते हैं और इसके लिए वे छोटी

क्रमश:.....4

गाड़ियों का जिसे डिलिवरी भान कहते हैं, उसका व्यवहार करते है । ऐसा करने से ही सामनों की आपूर्ति को बनाए रखा जा सकता है और उससे राज्य सरकार को कर की प्राप्ति होती है परन्तु देखा जा रहा है कि No Entry के नाम पर ऐसे छोटे डिलिवरी भान को भी रोककर परेशान किया जाता है । इस समस्या को चैम्बर द्वारा पहले भी कई बार उठाया गया परन्तु आजतक ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था की ओर से इसका कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकाला गया । हम पुनः इस पर विचार करने का आग्रह करते हैं ।

iii. अलग यातायात्र नियंत्रण कक्ष – राज्य में गाड़ियों की संख्या में जबर्दस्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक अलग यातायात नियंत्रण कक्ष राजधानी पटना के साथ–साथ अन्य बड़े शहरों में स्थापित करने की आवश्यकता है ।

iv. भीषण ट्राफिक जाम वाले स्थानों पर वाकी–टॉकी से लैस उपयुक्त संख्या में ट्रैफिक के जवानों को लगाया जाना चाहिए । साथ ही इन स्थानो पर हमेशा क्रेन की व्यवस्था रहनी चाहिए ।

v. पटना के प्रमुख व्यवसायिक स्थलों पर गाड़ियों की पार्किंग के लिये स्थान चिन्हित कर उसका विकास किया जाना चाहिए जिससे कि अधिकाधिक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था संभव हो सके । पार्किंग के लिए अधिकांश स्थानों में बनाया गया चिन्ह गाड़ी की लम्बाई से कम रहता है और बड़ी गाड़ियों की लिहाज से और भी कम रहता है । इसलिए गाड़ियों का कुछ भाग पार्किंग लाईन से बाहर रह जाता है और ट्रैफिक के जवान या अधिकारी मनमाना व्यवहार करने लगते हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिए ।

क्रमशः.....5

न्यू मार्केट Overbridge के नीचे वाहन के पार्किंग के लिए Mark किया गया है लेकिन वहॉ पर Vendor द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण के कारण वाहन पार्क करना असंभव हो गया है ।

vi. रोड के साईड में अनाधिकृत वेंडरों के कारण भी यातायात में कठिनाई होती है अत: यातायात को सहज बनाने हेतु अनाधिकृत वेंडरों को हटाया जाना चाहिए ।

vii. बिहार में मुम्बई के तर्ज पर ट्राफिक ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट की स्थापना कराया जाना चाहिए ।

viii. ओवर स्पीड वाहनों पर नियंत्रण के लिए सभी यातायात थानों को इंटरसेप्टर वाहन मुहैया कराया जाना चाहिए ।

8. <u>Noise Pollution के नियंत्रण हेतु</u>

i. Noise Pollution को नियंत्रित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद Loudspeaker एवं बैण्ड–बाजा बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है अत: इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि जितने भी Community Hall, Hotel एवं विवाह स्थल हैं उनमें स्थानीय थाना के Mobile Number एवं Telephone Number के साथ इस आशय का भी बोर्ड थाना द्वारा लगाया जाना चाहिए कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर थाना पर फोन करें ।

ii MVI Act के अनुसार गाड़ियों में अधिकतम 80 डिसिवल की ध्वनि वाले हार्न का उपयोग करना निर्धारित किया गया है लेकिन लोगों द्वारा अधिक ध्वनि वाला हार्न का उपयोग किया जा रहा है। अत: इसे नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है।

क्रमश:.....6

9. **<u>प्रथम सूचना रिर्पोट को आन–लाईन दर्ज कराने की व्यवस्था का प्रारम्भ</u> :–**
प्रथम सूचना रिर्पोट को ऑन–लाईन दर्ज कराने की व्यवस्था आरम्भ करने की तत्काल आवश्यकता है । यदि ऐसा हो सके तो यह सामान्य जनता के लिए वरदान होगा ।

10. **<u>पटना पुलिस को GPRS से जोड़ा जाए</u> :–**
कुछ वर्ष पूर्व पटना पुलिस को GPRS से लैस करने की योजना बनी थी जो संभवत: अभी तक लागू नहीं हो पायी है । यह एक कारगर योजना है इसका कार्यान्यन अविलम्ब किया जाना चाहिए ।

11. राज्य के औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भांति बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाना चाहिए ।

12. उद्यमियों एवं व्यवसायियों के अनुरोध पर सशस्त्र अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाना चाहिए साथ ही इसकी प्रक्रिया को और सहजन बनाया जाना चाहिए ।

13. उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़ी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को सपीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

14. उद्यमियों एवं व्यवसायियों को उनकी मांग पर आर्म लाइसेंस सहज रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

15. **<u>अतिक्रमण से संबंधित सुझाव</u> :–**
पटना में अतिक्रमण एक प्रमुख समस्या है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । विशेषकर हम आपका ध्यान पटना के प्राचीन मार्केट हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट, कुप्पेपाड़ा मार्केट एवं न्यू मार्केट में अतिक्रमण की ओर दिलाना चाहेंगे जो एक गंभीर समस्या बन गई है । यदि इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया तो इस मार्केट की महत्ता समाप्त हो जाएगी क्योंकि जाम के कारण काफी लोग चाहकर भी इस मार्केट में आने से घबड़ाते हैं ।

क्रमश:.....7

16. **साईबर अपराध के संबंध में** :–
महोदय सूचना तकनीक के बढ़ने से साईबर अपराध भी लगातार बढ़ने की सूचना प्राप्त हो रही है । अतः आग्रह है कि इससे संबंधित कार्रवाई के लिए समुचित व्यवस्था की जाए साथ ही इसकी सूचना एवं शिकायत की क्या प्रक्रिया होगी इस संबंध में बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए ।

17. उद्यमियों एवं व्यवसायियों को उनकी मांग पर आर्म लाइसेंस सहज रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

18. यातायात पुलिस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी पुल के उपर जिस स्थान पर यातायात पुलिस की तैनाती की गयी है वहॉ पर शेड की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

19. नया बस स्टैण्ड पर पुनः अवैध पार्किंग के कारण सड़क पर जाम लगने लगी है । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

20. पटना–गया रोड में काफी संख्या में कॉमर्शियल गोदाम स्थित हैं अतः यदि संभव हो तो वहॉ से **No Entry** को हटाया जाना चाहिए ।

21. बिहार पुलिस हमारे **Life Projector** के रूप में कार्य करते हैं इसलिए हमेशा उनका सम्मान होना चाहिए ।

22. करीब–करीब सभी थानों के सामने या उसके आस–पास काफी संख्या में वाहन लगे रहने के कारण सड़कों का अतिक्रमण होता है जिससे एक तो वाहन लेकर जानेवाले लोगों को असुविधा होती है दूसरा थाना के सामने या उसके आसपास गंदगी का वातावरण रहने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान का प्रतिकूल संदेश लोगों में जाता है । अतः इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है एवं एक समय–सीमा का निर्धारण कर इस कार्य को कराया जाना चाहिए ।

****

पटना
25 मार्च 2022

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से पुलिस महानिदेशक, बिहार के साथ दिनांक 25 मार्च 2022 को आयोजित बैठक में समर्पित ज्ञापन

1. अद्यतन तकनीक से पुलिस बल का आधुनिकीकरण :–

पुलिस बल को अति आधुनिक हथियार, सूचना तकनीक एवं आधुनिक इलेक्ट्रोनिक उपकरणों से सुसज्जीत करना नितान्त आवश्यक है । अद्यतन सूचना तकनीक के उपकरण पुलिस प्रशासन को अपराध पर नियंत्रण में बड़ी सहायता पहुँचा सकती है । पुलिस स्टेशनों को और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है ।

2. बड़े पुलिस थानों के अर्न्तगत ज्यादा पुलिस आउट पोस्ट की स्थापना :–

पटना शहर में गॉधी मैदान, कदमकुऑ, पीरबहोर, पाटलिपुत्रा, बुद्धा कोलोनी, आलमगंज, सुल्तानगंज, खाजेकला, सिटी चौक जैसे थानों का अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा है । इसलिए इन थानों में पुलिस प्रशासन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिये इनके अर्न्तगत ज्यादा आउट पोस्ट स्थापित करने की आवश्यकता है । जजेज कोर्ट रोड में भी एक पुलिस आउट पोस्ट स्थापित किया जाना चाहिये ।

3. दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग :–

दुपहिया वाहन पर पेट्रोलिंग अत्यन्त प्रभावी होती है । हाल के दिनों में दुपहिया वाहन से पेट्रोलिंग आरंभ तो की गयी है परन्तु यहाँ की संकीर्ण गलियों की अधिकता को देखते हुए उनकी संख्या को बढ़ाने एवं उसे और कारगर बनाने की आवश्यकता है तथा दुपहिया वाहन के जरिये अधिक से अधिक पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता है । आपको विदित है कि पटना सिटी जो कि पटना का एक प्राचीन हिस्सा है और अधिकतर गलियॉ संकीर्ण हैं वहॉ पर दो पहिया वाहन से पेट्रोलिंग काफी प्रभावी होगा ।

4. निजी वाहनों की जॉच

बिहार में पूर्ण शराब बंदी के बाद अवैध व्यवसाय में लगे लोगों पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा निजी वाहनों का जॉच किया जाता है । लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जिस निजी वाहन में आपत्तिजनक वस्तु नहीं प्राप्त होता है उस वाहन को भी केवल नकद रूपया ले जाने के कारण रोक कर परेशान किया जाता है ।

आपको विदित है कि व्यवसायी को विभिन्न उद्देश्यों यथा– माल खरीदने–बेचने, बैंक में जमा करने या बैंक से निकासी के क्रम में अपने निजी वाहन से नकद लेकर आवागमन किया जाना आवश्यक होता है । अत: इस संबंध में आपके स्तर से स्पष्टीकरण चाहेंगे कि कौन सा कागजात साथ रखना आवश्यक है जिससे कि व्यवसायी इस परेशानी से बच सकें ।

5. व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग में वृद्धि :–

व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाना चाहिए तथा व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए पुलिस विभाग में एक विशेष विंग की स्थापना किया जाना चाहिए । यह देखा गया है कि व्यापारिक स्थानों में

क्रमश:.....2

व्यापारिक अवधि में ही अपराध घटित होते हैं, इसलिए हमारा सुझाव है कि व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाना चाहिए । साथ ही पुलिस विभाग में व्यवसायियों के लिए एक विशेष विंग की स्थापना की जानी चाहिए जिससे कि उनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके ।

6. <u>प्रमुख व्यवसायिक स्थलों पर सीसीटीवी</u> :–

आज के परिवेश में अपराध पर अंकुश लगाने में CCTV की भी काफी अहम भूमिका है। इसे अधिक से अधिक सघन व्यापारिक स्थलों यथा सब्जीबाग, हथुआ मार्केट, पटना मार्केट, एक्जीविशन रोड, फ्रेजर रोड, न्यू मार्केट, राजा बाजार आदि प्रमुख व्यवसायिक स्थलों पर CCTV लगाया जाना आवश्यक है । पुलिस प्रशासन को अपराध के उदभेदन में CCTV का उपयोग से काफी सफलता मिली है । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहॉ पर भी पूर्व से CCTV लगे हुए हैं वह Proper तरीके से कार्य करता रहे ।

7. <u>नियमित बैठक की व्यवस्था</u> :–

पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों में अवस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ नियमित आधार पर पुलिस अधीक्षक के स्तर पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिये ।

हमारा अनुरोध होगा कि राज्य स्तर पर एक अन्तराल पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को अपना बहुमुल्य समय देने की कृपा की जाए जिससे कि व्यवसायियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को जानने एवं उसके निदान का प्रयास आपके स्तर पर किया जाना चाहिए ।

8. <u>ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के सुझाव</u> :–

i. ट्रैफिक की समस्या केवल पुलिस प्रशासन से ही संबंधित नहीं है बल्कि इसमें कई विभागों की भागीदारी होती है इसलिए हमारा सुझाव है कि सरकार के स्तर पर ऐसा प्रस्ताव रखा जाए कि सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों की एक कमिटी बनाकर संयुक्त रूप से पहल किया जाए तथा एक ठोस कार्य योजना बनायी जाए । साथ ही साथ संपूर्ण राज्य में बढ़ती जनसंख्या, वाहनों का दबाव एवं संकरी सड़कों के कारण ट्रैफिक जाम एक बहुत बड़ी समस्या बन गयी है । इस सन्दर्भ में हमारा निवेदन होगा कि ट्रैफिक पुलिस के पास आधुनिक उपकरणें प्रचूर मात्रा में उपलब्ध कराया जाए । साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस की संख्या में भी अपेक्षित वृद्धि करना आवश्यक है ।

ii. छोटे डिलिवरी भान को वर्जित अवधि में प्रवेश की अनुमति – हम आपका ध्यान हमारे वैसे सदस्यों की कठिनाईयों की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं जो दवा, आवश्यक वस्तुओं, बेबी फूड तथा अन्य खाद्य सामग्री के वितरक हैं । ये वितरक खुदरा बिक्रेता के प्रतिष्ठान में माल की आपूर्ति करते हैं और इसके लिए वे छोटी गाड़ियों का जिसे डिलिवरी भान कहते हैं, उसका व्यवहार करते है । ऐसा करने से ही सामनों की आपूर्ति को बनाए रखा जा सकता है और उससे राज्य सरकार को कर की प्राप्ति होती है परन्तु देखा जा रहा है कि No Entry के नाम पर ऐसे छोटे डिलिवरी भान को भी रोककर परेशान किया जाता है । इस समस्या को चैम्बर द्वारा पहले भी कई बार उठाया गया परन्तु आजतक ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था की ओर से इसका कोई संतोषजनक समाधान नहीं निकाला गया । हम पुनः इस पर विचार करने का आग्रह करते हैं ।

iii. अलग यातायात्र नियंत्रण कक्ष – राज्य में गाड़ियों की संख्या में जबर्दस्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक अलग यातायात नियंत्रण कक्ष राजधानी पटना के साथ–साथ अन्य बड़े शहरों में स्थापित करने की आवश्यकता है ।

क्रमशः.....3

iv. भीषण ट्राफिक जाम वाले स्थानों पर वाकी–टॉकी से लैस उपयुक्त संख्या में ट्रैफिक के जवानों को लगाया जाना चाहिए । साथ ही इन स्थानो पर हमेशा क्रेन की व्यवस्था रहनी चाहिए ।

v. पटना के प्रमुख व्यवसायिक स्थलों पर गाड़ियों की पार्किंग के लिये स्थान चिन्हित कर उसका विकास किया जाना चाहिए जिससे कि अधिकाधिक गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था संभव हो सके । पार्किंग के लिए अधिकांश स्थानों में बनाया गया चिन्ह गाड़ी की लम्बाई से कम रहता है और बड़ी गाड़ियों की लिहाज से और भी कम रहता है । इसलिए गाड़ियों का कुछ भाग पार्किंग लाईन से बाहर रह जाता है और ट्रैफिक के जवान या अधिकारी मनमाना व्यवहार करने लगते हैं । इसलिए इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिए ।

न्यू मार्केट Overbridge के नीचे वाहन के पार्किंग के लिए Mark किया गया है लेकिन वहॉ पर Vendor द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण के कारण वाहन पार्क करना असंभव हो गया है ।

vi. रोड के साईड में अनाधिकृत वेंडरों के कारण भी यातायात में कठिनाई होती है अत: यातायात को सहज बनाने हेतु अनाधिकृत वेंडरों को हटाया जाना चाहिए ।

vii. बिहार में मुम्बई के तर्ज पर ट्राफिक ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट की स्थापना कराया जाना चाहिए ।

viii. ओवर स्पीड वाहनों पर नियंत्रण के लिए सभी यातायात थानों को इंटरसेप्टर वाहन मुहैया कराया जाना चाहिए ।

9. <u>Noise Pollution के नियंत्रण हेतु</u>

i. Noise Pollution को नियंत्रित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद Loudspeaker एवं बैण्ड–बाजा बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है अत: इसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। इस संबंध में हमारा सुझाव होगा कि जितने भी Community Hall, Hotel एवं विवाह स्थल हैं उनमें स्थानीय थाना के Mobile Number एवं Telephone Number के साथ इस आशय का भी बोर्ड थाना द्वारा लगाया जाना चाहिए कि रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर थाना पर फोन करें ।

ii MVI Act के अनुसार गाड़ियों में अधिकतम 80 डिसिवल की ध्वनि वाले हार्न का उपयोग करना निर्धारित किया गया है लेकिन लोगों द्वारा अधिक ध्वनि वाला हार्न का उपयोग किया जा रहा है। अत: इसे नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है।

10. <u>प्रथम सूचना रिर्पोट को आन–लाईन दर्ज कराने की व्यवस्था का प्रारम्भ</u> :–

प्रथम सूचना रिर्पोट को ऑन–लाईन दर्ज कराने की व्यवस्था आरम्भ करने की तत्काल आवश्यकता है । यदि ऐसा हो सके तो यह सामान्य जनता के लिए वरदान होगा ।

11. <u>पटना पुलिस को GPRS से जोड़ा जाए</u> :–

कुछ वर्ष पूर्व पटना पुलिस को GPRS से लैस करने की योजना बनी थी जो संभवत: अभी तक लागू नहीं हो पायी है । यह एक कारगर योजना है इसका कार्यान्यन अविलम्ब किया जाना चाहिए ।

12. राज्य के औद्योगिक उपक्रमों की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भांति बिहार राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाना चाहिए ।

क्रमश:.....4

13. उद्यमियों एवं व्यवसायियों के अनुरोध पर सशस्त्र अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाना चाहिए साथ ही इसकी प्रक्रिया को और सहजन बनाया जाना चाहिए ।

14. उद्योग एवं व्यवसाय से जुड़ी आपराधिक घटनाओं में संलिप्त अपराधियों को सपीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

15. उद्यमियों एवं व्यवसायियों को उनकी मांग पर आर्म लाइसेंस सहज रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

16. **अतिक्रमण से संबंधित सुझाव :–**

पटना में अतिक्रमण एक प्रमुख समस्या है उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । विशेषकर हम आपका ध्यान पटना के प्राचीन मार्केट हथुआ मार्केट, खेतान मार्केट, कुप्पेपाड़ा मार्केट एवं न्यू मार्केट में अतिक्रमण की ओर दिलाना चाहेंगे जो एक गंभीर समस्या बन गई है । यदि इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया तो इस मार्केट की महत्ता समाप्त हो जाएगी क्योंकि जाम के कारण काफी लोग चाहकर भी इस मार्केट में आने से घबड़ाते हैं ।

17. **साईबर अपराध के संबंध में :–**

महोदय सूचना तकनीक के बढ़ने से साईबर अपराध भी लगातार बढ़ने की सूचना प्राप्त हो रही है । अत: आग्रह है कि इससे संबंधित कार्रवाई के लिए समुचित व्यवस्था की जाए साथ ही इसकी सूचना एवं शिकायत की क्या प्रक्रिया होगी इस संबंध में बड़े पैमाने पर प्रचार–प्रसार कराया जाना चाहिए ।

18. उद्यमियों एवं व्यवसायियों को उनकी मांग पर आर्म लाइसेंस सहज रूप से उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाना चाहिए ।

19. यातायात पुलिस के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सभी पुल के उपर जिस स्थान पर यातायात पुलिस की तैनाती की गयी है वहॉ पर शेड की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

20. नया बस स्टैण्ड पर पुन: अवैध पार्किंग के कारण सड़क पर जाम लगने लगी है । इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

21. पटना–गया रोड में काफी संख्या में कॉमर्शियल गोदाम स्थित हैं अत: यदि संभव हो तो वहॉ से **No Entry** को हटाया जाना चाहिए ।

22. बिहार पुलिस हमारे **Life Projector** के रूप में कार्य करते हैं इसलिए हमेशा उनका सम्मान होना चाहिए ।

23. करीब–करीब सभी थानों के सामने या उसके आस–पास काफी संख्या में वाहन लगे रहने के कारण सड़कों का अतिक्रमण होता है जिससे एक तो वाहन लेकर जानेवाले लोगों को असुविधा होती है दूसरा थाना के सामने या उसके आसपास गंदगी का वातावरण रहने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत अभियान का प्रतिकूल संदेश लोगों में जाता है । अत: इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है एवं एक समय–सीमा का निर्धारण कर इस कार्य को कराया जाना चाहिए ।

****

पटना

25 मार्च 2022